

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 46.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.1	फल-पौध रोपणी की अुत्तृप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण.	जिले का सहायक/ उप संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संबंधित संभाग का संयुक्त संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश.
46.2	बीज/अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अनुत्तृप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना.	जिले का सहायक/ उप संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संबंधित संभाग का संयुक्त संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. एफ 2-07-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.18	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 59 के अन्तर्गत पता परिवर्तन करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.19	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 60 के अन्तर्गत भाड़ा करार दर्ज करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.20	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 61 (1) के अन्तर्गत भाड़ा करार दर्ज करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.